

सी.बी.डी.ए. की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

**RULES AND REGULATIONS
OF**

Chhattisgarh Biofuel Development Authority (CBDA)

1.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य

- प्राधिकरण के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नानुसार हैं।
- I. आवश्यकतानुसार अनुसंधान हेतु अनुसंधान व विकास की सुविधा जुटाना, लक्ष्यों को पाने के लिये समुचित पौद्योगिकी व विस्तार पैकेज विकसित करना।
 - II. ग्रामीण आय में वृद्धि व महिला सशक्तिकरण करना।
 - III. ग्रामीण रोजगार का निर्माण करना।
 - IV. बायोफ्यूल ऊर्जा के दोहन से अक्षय उर्जा को प्रोत्साहन करना।
 - V. तैलीय बीजधारी वृक्षों के लिये अनुकूल क्षेत्रों की पहचान कर ऐसे वृक्षों को उगाना व बायोफ्यूल बनाना।
 - VI. राष्ट्र/राज्य की कच्चा तेल (crude Oil) आयात लागत में कमी लाना।
 - VII. जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ाना।
 - VIII. वायुमंडल में विषैले उत्सर्जन में कमी लाना, क्योंकि बायोफ्यूल का कम्बस्थान सल्फर के यौगिक पूर्णतः मुक्त रहता है।
 - IX. फौसिल फ्यूल (कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस) के प्रयोग के बदले वृक्षों के बीजों से प्राप्त बायोफ्यूल के प्रयोग से ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना।
 - X. फ्यूल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं फ्यूल सिक्यूरिटी
 - XI. कार्बन क्रेडिट का अर्जन।

1.2 प्राधिकरण का स्थापना

यह कि छत्तीसगढ़ में उगने वाली पौधों की कुछ अखाद्य प्रजातियों में नीम, सिमरौबा, करंज, जेट्रोफा, जेजोबा, कोकम, भीकल, कुसुम आदि सम्मिलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रजातियां वनों के बाहर भी उपलब्ध हैं, इनके बीजों के मूल्यांकन से यह पाया गया है कि पोंगामिया पिन्नाटा (करंज) तथा जेट्रोफा (रजनजोत) के बीजों से बायोडीजल निकालना उपयुक्त है। इन वृक्षों द्वारा धारित बीजों के उत्पादन की राज्य में भारी संभावना है। यद्यपि ऐसे कई कारण हैं जिनमें विस्तृत वन क्षेत्रों में दूर-दूर फैले वृक्षों के बीजों के संग्रहण में कठिनाई होना तथा इस दिशा में संगठित प्रयासों की कमी प्रमुख है, जिसके कारण उपलब्ध बीजों से केवल कुछ ही का संग्रहण हो पाता है। अतः वर्तमान में ऐसे बायोफ्यूल का राज्य में कोई उल्लेखनीय उपयोग नहीं हो पा रहा था।

ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के वृक्षों के रोपण, उनके बीजों के संग्रहण तथा इनसे बायोफ्यूल निकालना व उसके विपणन करने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी समन्वित प्रबंधन व अनुश्रवण की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी।

अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण" (Chhattisgarh Biofuel Development Authority) CBDA नामक एक विशिष्ट प्राधिकरण की दिनांक 26 जनवरी 2005 को स्थापना किया गया।

1.3 प्राधिकरण की गतिविधियाँ-

- I. बायोफ्यूल से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों का अनुमोदन
- II. प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न विद्यमान कार्यक्रमों के लिये स्रोतों का मूल्यांकन, पहचान व आबंटन करना तथा आवश्यकतानुसार प्राधिकरण के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त स्रोतों को संगठित करना।
- III. प्राधिकरण के अनुमोदित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण करना।
- IV. बायोफ्यूल कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वन।

1.4 सीबीडीए मुख्यालय का पता, दूरभाष, ई-मेल एवं वेबसाइट -

पता-

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए)

व्ही.आई.पी. रोड, बायोडीजल प्लांट काम्प्लेक्स,

पोस्ट: देवपुरी, जिला: रायपुर-492015 (छ.ग.)

दूरभाष-

9516000808

ई-मेल-

cbdaraipur@gmail.com

वेबसाइट-

www.cbda.in

मैनुअल - 2

प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य

प्राधिकरण की शक्तियाँ—

- I. प्राधिकरण के अध्यक्षीन क्रियान्वित किये जाने वाले विभिन्न विद्यमान/नये कार्यक्रमों के लिये विभिन्न विभागों में राशि को चिन्हांकित करना।
- II. कार्यालयीन भवन, कर्मियों के वेतन, कार्यालयीन उपकरण वाहनों आदि के लिये राशि चिन्हांकित कर उपलब्ध कराना। यदि आवश्यक हो तो राशि ऊर्जा विकास उपकरण निधि से आबंटित की जा सकेगी।
- III. माननीय मुख्यमंत्रीजी के मार्गदर्शन व निरीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुये कर्मियों व कार्यक्रमों /परियोजनाओं को प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रदान करना।
- IV. अनुसंधान सहित प्राधिकरण के सभी गतिविधियों की पहचान, क्रियान्वयन व अनुश्रवण के लिये समितियों व उपसमितियों का गठन करना।
- V. विशेष उद्देश्यों व परियोजनाओं के लिये परामर्शदाता नियुक्त करना।

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, रायपुर कार्यालय में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्य निम्नानुसार है :-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीबीडीए निम्न कार्य करने के लिये सक्षम होगा—

- I. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं, कार्यक्रमों, प्रस्तावों के संबंध में स्वीकृतियाँ/आदेश जारी करना।
- II. विभिन्न शासकीय विभागों से प्राधिकरण के लिये आवश्यक सहयोग व सूचना प्राप्त करना।
- III. मुख्य कार्यपालन अधिकारीद्वारा प्राधिकरण के लक्ष्यों और उद्देश्यों, उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपनाई जाने वाली रणनीतियों, कार्यक्रमों, गतिविधियों, लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति किये जाने वाले कार्यों तथा इन सभी के लिये समय सीमा आदि निर्धारित करने से संबंधी दस्तावेज तैयार किये जायेंगे।
- IV. प्राधिकरण द्वारा नियुक्त आवश्यक कर्मियों का प्रकोष्ठ मुख्य कार्यपालन अधिकारीकी सहायता करेगा।

मैनुअल – 3

निर्णय प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्यप्रणाली ।

- प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन नियमों के अध्याधीन रहते हुए गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं ।
- सनियंत्रण एवं जवाबदेही की दृष्टि से निम्नलिखित व्यवस्था है:-
 - मैदानी अधिकारियों द्वारा प्रधान कार्यालय को सामग्री क्रय के लिए पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करना, जिसमें आवश्यक सामग्री व उपलब्ध सामग्री का विवरण हो। इसी तरह बायोडीजल संयंत्र के ऑपरेटर द्वारा बीज तथा अन्य सामग्री का क्रय के लिये संयंत्र प्रबंधक को मांगपत्र प्रस्तुत करना तथा तैयार किये गये उत्पाद के विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्रियों का विवरण समय-समय पर संयंत्र प्रबंधक को प्रस्तुत करना ।
 - प्रस्ताव तथा मांगपत्र के परीक्षण के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना ।
 - नियमानुसार निविदाओं का आमंत्रण व क्रय/विक्रय समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत निविदाओं का परीक्षण कर आदेश जारी करना ।
 - सामग्रियों का भौतिक तथा तकनीकी रूप से निरीक्षण उपरांत सत्यापन किया जाना ।

मैनुअल – 4

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधी से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सी.बी.डी.ए.) द्वारा बायोफ्यूल के क्षेत्र में नीति निर्धारण हेतु जनता या जनप्रतिनिधि तथा विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों के साथ प्रतिवर्ष एक या इससे अधिक कार्यशाला का आयोजन कर भविष्य के कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा कर बायोफ्यूल कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया जाता है ।

प्राधिकरण द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बायोफ्यूल कार्यक्रम के विस्तार के लिये ग्रामीण तथा इनके द्वार चुने गये सरपंच के साथ नियमित रूप से परामर्श किया जाता है एवं उनसे मिले सुझावों को अगले वर्ष के कार्यक्रम में शामिल किया जाता है ।

मैनुअल – 5

कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम एवं अभिलेख

सीबीडीए द्वारा कृत्य के निर्वहन के लिये राज्य शासन में लागू सभी नियम का अनुपालन किया जाता है। समय-समय पर राज्य शासन के ऊर्जा विभाग से प्राप्त निर्देशों को अपने नियम एवं अभिलेखों में शामिल कर लिया जाता है।

मैनुअल – 6

विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की सूची

कार्यालय में विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को सूचीबद्ध किया गया है एवं सभी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार अभिलेखों की सूची अद्यतन की जाती है।

मैनुअल – 7

निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्व साधारण जनता से सलाह-मशविरा करने की कोई व्यवस्था हो तो उसका उल्लेख।

आवश्यकतानुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत चर्चा उपरांत कार्यप्रणाली का प्रारूप तैयार कर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

मैनुअल – 8

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

सी.बी.डी.ए. से कोई भी बोर्ड, परिषदों, समितियों या अन्य निकाय संबद्ध नहीं है।

मैनुअल – 9

मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.	नाम	पदनाम	STD कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	कार्यालय का पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री सुमित सरकार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	0771	9516000808	97550 44078	सुविधा उपलब्ध नहीं है	cbdaraipur@gmail.com	व्ही.आई.पी. रोड, बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स, पो. देवपुरी, रायपुर, पिन 492015
2.	श्री सुमित सरकार	परियोजना अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार)	तदैव	7880161534	97550 44078			
3.	डॉ. प्रीति कौर	प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी	तदैव	7880161540	निरंक	तदैव	तदैव	
4.	श्री संतोष मैत्री	प्रभारी सहा. परियोजना अधिकारी, (प्रोजेक्ट सेल-I)	तदैव	7880161544	निरंक	तदैव	तदैव	
5.	डॉ. विशाल खरे	प्रभारी सहा. परियोजना अधिकारी, (प्रोजेक्ट सेल-II)	तदैव	9826179868	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
6.	श्री लव त्यागी	प्रभारी सहा. परियोजना अधिकारी, (प्रोजेक्ट सेल-III)	तदैव	9981004747	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
7.	श्री रमेश मेन्देकर	प्रभारी सहा. परियोजना अधिकारी, (प्रोजेक्ट सेल-IV)	तदैव	7880161532	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
8.	श्रीमती अंजली जोगदंड	सहा. प्रशा. सह वित्तीय अधिकारी	तदैव	7880161531	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
9.	श्रीमती छायाकिरण शर्मा	निज सहायक	तदैव	7880161533	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
10.	श्रीमती ज्योति खापरडे	कार्यालय/विशेष सहायक	तदैव	7880161535	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
11.	श्री हिर्मोशु तिवारी	कार्यालय सहायक		7566648008				
12.	श्री नरेन्द्र कुमार ठाकुर	कार्यालय सहायक	तदैव	7880161536	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
13.	श्रीमती प्रीति सोनी (अनुकंपा नियुक्ति)	सहायक ग्रेड-3	तदैव	7880161537	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव
14.	श्रीमती सरिता निगम (अनुकंपा नियुक्ति)	डाटा एंट्री आपरेटर	तदैव	7880161537	निरंक	तदैव	तदैव	तदैव

मैनुअल – 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

क्र.स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति (राज्य शासन द्वारा जारी किये गये सातवों वेतनमान अनुसार वेतन-मैट्रिक्स के तहत लेबल)
1.	श्री सुमीत सरकार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	14
2.	श्री सुमीत सरकार	परियोजना अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार)	14
3.	डॉ. प्रीती कौर	प्रिसिपल साइंटिफिक ऑफिसर	13
	श्री संतोष मैत्री	प्रभारी सहा. परियोजना अधिकारी (प्रोजेक्ट सेल-I)	13
4.	श्री विशाल खरे	प्रभारी सहा. परियोजना अधिकारी (प्रोजेक्ट सेल-II)	13
5.	श्री लव त्यागी	प्रभारी सहा. परियोजना अधिकारी (प्रोजेक्ट सेल-III)	13
6.	श्री रमेश मेन्डेकर	प्रभारी सहा. परियोजना अधिकारी (प्रोजेक्ट सेल-IV)	12
7.	श्रीमती अंजली जोगदंड	सहा. प्रशासकीय सह वित्तीय अधिकारी	12
8.	श्रीमती वर्षा साव	प्लॉट सुपरवाइजर	08
9.	कु. मंजीता सिंह	कंप्यूटर ऑपरेटर	09
10.	श्रीमती छायाकिरण शर्मा	निज सहायक	09
11.	श्री समय लाल कांछी	स्था. स्कंध अधिकारी	08
12.	श्री रंजीत सिंह	प्लॉट आपरेटर	06
13.	श्री पूर्णचन्द्र साहू	लैब इंस्ट्रक्टर	07
14.	श्री चुमन लाल साहू	वाहन चालक	06
15.	श्री दिलीप मिश्रा	वाहन चालक	06
16.	श्री विनोद कुमार पुरैना	वाहन चालक	04
17.	श्री गोविंद सूर्यवंशी	कार्यालय सहायक	07
18.	श्रीमती ज्योति खापरडे	कार्यालय/विशेष सहायक	07
19.	श्री हिमांशु तिवारी	कार्यालय सहायक	07
20.	श्री नरेन्द्र ठाकुर	कार्यालय सहायक	07
21.	श्रीमती प्रीति सोनी (अनुकंपा नियुक्ति)	सहायक ग्रेड-3	04
22.	श्रीमती सरिता निगम (अनुकंपा नियुक्ति)	डाटा एंट्री आपरेटर	04
23.	श्री लक्ष्मी नारायण सोनी	वरिष्ठ डाकवाहक	03
24.	श्री कन्हैया लाल यादव	सहायक मैकेनिक	03
25.	श्री रामभरोस साहू	सहायक आपरेटर	03
26.	श्री द्वारिका प्रसाद साहू	भृत्य	01
27.	श्री सुनील यादव	भृत्य	01
28.	श्री जगेश्वर ध्रुव	भृत्य	01
29.	श्री राजेन्द्र नामदेव	भृत्य	01
30.	श्री रितेश सोने	भृत्य (दैनिक वेतनभोगी)	जिला कलेक्टर दर पर

मैनुअल – 11

प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट

वर्ष 2004–05 में इस प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 26.01.2005 को राज्य शासन द्वारा की गई है। स्थापना उपरांत आज दिनांक तक निम्नानुसार राशि प्राधिकरण को आबंटित की गई है :-

वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ में)
2004–05	निरंक
2005–06	11.96
2006–07	15.00
2007–08	15.00
2008–09	निरंक
2009–10	निरंक
2010–11	निरंक
2011–12	निरंक
2012–13	निरंक
2013–14	निरंक
2014–15	निरंक
2015–16	निरंक
2016–17	0.10
2017–18	0.10
2018–19	0.92
2019–20	0.10
2020–21	1.00
2021–22	3.00
2022–23	5.00
2023–24	4.50 (release awaited)

मैनुअल – 12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों के पूर्ति के लिये शासन से प्राप्त अनुदान/राज्य सहायता के उपयोग हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति है।

मैनुअल – 13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा कोई रियायत प्रदाय नहीं किया जाता है।

मैनुअल – 14

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित सूचनायें प्राधिकरण की वेबसाईट www.cbda.in में उपलब्ध कराये गये हैं।

मैनुअल – 15

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

प्राधिकरण के कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिये निम्नांकित स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है :-

- ग्रामीण स्तर पर समय-समय पर ग्रामीण हितग्राही के साथ बैठक का आयोजन।
- हिन्दी समाचार-पत्रों में प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में जानकारी का निरंतर प्रकाशन।
- हिन्दी में पाम्पलेट/पोस्टर का प्रकाशन।
- बीज संग्रहण हेतु ग्रामीण स्तर पर हाट बाजारों में प्रचार-प्रसार।
- कौशल विकास में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को बायोफ्यूल कार्यक्रम में जोड़ना।

मैनुअल – 16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम : छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण
लोक सूचना अधिकारी :

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री संतोष मैत्री	प्रभारी सहा. परियोजना अधिकारी (प्रोजेक्ट सेल-1)	0771	7880161544			cbdaraipur@gmail.com	व्ही.आई.पी. रोड, बायोडीजल प्लांट कॉम्प्लेक्स, पो. देवपुरी, रायपुर,

सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्रीमति छाया किरण शर्मा	निज सहायक	0771	7880161533			cbdaraipur@gmail.com	व्ही.आई.पी. रोड, बायोडीजल प्लांट कॉम्प्लेक्स, पो. देवपुरी, रायपुर,

विभागीय अपीलेंट अथोरिटी :

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री सुमित सरकार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	0771	7880161534	-		cbdaraipur@gmail.com	व्ही.आई.पी. रोड, बायोडीजल प्लांट कॉम्प्लेक्स, पो. देवपुरी, रायपुर,

मैनुअल – 17

अन्य जानकारी

- सीबीडीए को जैव ईंधन तथा जैव ऊर्जा के क्षेत्र में किये गये अनुसंधान एवं विकास कार्यों का राष्ट्रीय स्तर पर सराहना करते हुये माह फरवरी-2024 को नई दिल्ली में **इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, 2024** का विजेता घोषित किया गया। माननीय श्री नितीन गड़करी, केन्द्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, छत्तीसगढ़ शासन की गरिमामय उपस्थिति में **नगर पालिक निगम, रायपुर/भिलाई, सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)** के मध्य **02 कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों** (प्रत्येक 100 टीपीडी क्षमता) की स्थापना हेतु माह मार्च-2024 में त्रिपक्षीय एमओयू निष्पादित किया गया।

एमओयू की शर्तों के अनुसार नगर पालिक निगम, भिलाई के क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट से सीबीजी उत्पादन संयंत्र स्थापना के लिये आवश्यक **विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण कर ली गई है।**
- नगर पालिक निगम, कोरबा/रायगढ़/अंबिकापुर में नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं बायोमास से कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों (प्रत्येक 150 टीपीडी क्षमता) की स्थापना के लिये गैस अर्थारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के साथ समझौता पत्र पर चर्चा जारी है।
- जिला धमतरी में बायोमास आधारित 200 टीपीडी क्षमता का कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापना हेतु **इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)** से लिखित सहमति प्राप्त की गई है। संयंत्र निर्माण स्थल चयन का कार्य जारी है।
- सीबीडीए द्वारा राज्य में बायोमास आधारित **ग्रीन हाइड्रोजन प्रदर्शनी संयंत्र स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन** ऊर्जा विभाग, छ.ग. शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
- सीबीडीए द्वारा सचिव, ऊर्जा विभाग, छ.ग. शासन के मार्गदर्शन में **'बायोफ्यूल रोडमैप छत्तीसगढ़ 2024-2029'** तैयार कर छ.ग. शासन के अन्य विभागों के साथ समन्वय साधन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।